तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

GCMS-2023/28

8/7/25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित।
P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/9/25
को पेश हों।

18/09/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार पाटन से प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने मुताबिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अं. धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, तहसीलदार पाटन से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवम् संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का गलत नाम "बालचन्द पुत्र दीनाराम" दर्ज हैं जबकि प्रार्थी का नाम "बालचन्द पुत्र दीनाराम" की जगह "राजेश कुमार पुत्र दीनाराम" सही होना बताया हैं। उक्त तथ्य की पुष्टि संलग्न दस्तावेजात यथा– मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड व जनआधार कार्ड एवं तहसीलदार पाटन से प्राप्त रिपोर्ट से होती हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :–

आदेश

तहसीलदार पाटन तन ग्राम बगडावा पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील पाटन जिला सीकर अवस्थित ख.नं. 7 व 8 कुल किता 02 कुल रकबा 4.34 है0 में प्रार्थी का गलत दर्ज नाम "बालचन्द पुत्र दीनाराम" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "राजेश कुमार पुत्र दीनाराम" दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पाटन को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना